(175)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1219—पीबीआर/2004 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—09—1995 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 02/निगरानी/1994—95

.....

1— रघुवीर सिंह पुत्र देवी सिंह

2— जगदीश सिंह पुत्र देवी सिंह

3— बदन सिंह पुत्र देवी सिंह ।

4— झींगुरी सिंह पुत्र देवी सिंह

सभी निवासीगण—ग्राम कांच की मढैया

तहसील रोन, जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— बृजेन्द्र सिंह पुत्र रामचरण सिंह

2— महिला बेटकली पुत्री रामचरण सिंह

पत्नी रण सिंह, निवासिन—ग्राम खेरिया सिन्ध

तहसील मेंहगांव, ज़िला—भिण्ड, म0प्र0

3— महिला विटोली पुत्री रामचरण सिंह

पत्नी सरनाम सिंह, निवासिन—ग्राम महेशपुरा

जिला—जानोन, उत्तर प्रदेश

4— महिला ब्रम्हा पुत्री रामचरण सिंह

पत्नी बरनाम सिंह, निवासिन मेहरा बुजुर्ग

तहसील मेहगांव, जिला—भिण्ड, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17-10-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/94–95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27–9–95 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता रघुवीर सिंह आदि के द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम मानगढ़ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 428 रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा में से 2 बीघा 06 बिस्वा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 197/71 में पारित आदेश दिनांक 14–12–81 के पालन में गैर निगरानीकर्ता राजेन्द्र सिंह आदि की खसरे में कब्जे संबंधी प्रविष्टि को हटाया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–83 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । निगरानीकर्तागण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, लहार के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 12/83–84/निगरानी माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 27–7–94 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा है । अपर कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–94 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 27–9–95 से निरस्त की गयी है । निगरानीकर्तागण

द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–95 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानी मेमों में लिखे गये तथ्यों एवं प्रकरण में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि निगरानीकर्तागण द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 32, 43, 110 तथा धारा 144 व 151 जा0दी0 की परिधि में न आने के कारण निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुये ही आवेदन पत्र को निरस्त किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामचरन का नाम कम किये जाने बाबत खसरा के खाना नंबर 12 से कोई आदेश नहीं दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है । अतः अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश उचित होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर